

संविदा के आधार पर सेवा योजन हेतु विज्ञप्ति

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या:-एम0ई0-2/2015/1918 लखनऊ:दिनांक 21 सितम्बर, 2015 एवं संख्या:-एम0ई0-2/2015/2123 लखनऊ:दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के आदेशानुसार एवं शासनादेश संख्या:-4661/71-1-08-जी-63/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 एवं शासनादेश:-सी0एम0-03/71-1-2014-जी-63/08 दिनांक 22 जनवरी, 2015 के क्रम में एम0सी0आई0 के मानकों की पूर्ति हेतु मेडिकल कालेज, मेरठ के विभिन्न विभागों, पी0एम0एस0एस0वाई0 एवं ट्रामा सेन्टर के रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्वारा आमन्त्रित किये जाते हैं। इन पदों पर चयन "वाक-इन-इन्टरव्यू" (Walk-in-interview) पद्धति से नियुक्त हेतु चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ कार्यालय प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ में दिनांक 11-11-2020 को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे के मध्य उपस्थित हो। पदों की संख्या नीचे तालिका में दी जा रही है। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह साक्षात्कार के दिवस को अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों की (स्व:प्रमाणित) छायाप्रतियों का दो सेट बायोडाटा सहित लायेंगे।

ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज, मेरठ के विभिन्न विभागों, पी0एम0एस0एस0वाई0 एवं ट्रामा सेन्टर के रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों का विवरण निम्नवत है:-

क्र. सं.	विशिष्टता	आचार्य				सह आचार्य				सहायक आचार्य			
		UR	OBC	SC	EWS	UR	OBC	SC	EWS	UR	OBC	SC	EWS
1	आर्थोपेडिक्स	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-
2	आर्थोपेडिक्स (ट्रामा)	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	आथलमोलॉजी	01	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
4	आब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गायनोकोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
5	एनाटामी	-	01	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-
6	एनेस्थीसियोलॉजी	-	-	01	-	02	01	-	-	-	-	01	01
7	एनेस्थीसियोलॉजी (ट्रामा)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
8	ओटो-राइनो-लैरिंगोलॉजी	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
9	कम्युनिटी मेडिसिन	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	01	-
10	कार्डियोलॉजी	01	-	-	-	-	-	-	01	-	01	-	-
11	कार्डियो-वैस्कुलर एण्ड थोरेसिक सर्जरी	-	01	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-
12	जनरल मेडिसिन	-	-	01	01	-	-	-	-	-	02	01	01
13	जनरल सर्जरी	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
14	जनरल सर्जरी(ट्रामा)	-	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
15	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन/पल्मोनरी मेडिसिन	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
16	ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन	-	-	01	-	-	01	-	-	-	-	-	01
17	डर्मटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-
19	न्यूरोलॉजी	-	01	-	-	-	-	01	-	-	01	-	-
20	न्यूरो सर्जरी	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
21	न्यूरो सर्जरी (ट्रामा)	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	नेफ्रोलॉजी	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	01	-
23	प्लास्टिक एण्ड रिक्न्स्ट्रक्टिव सर्जरी	-	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
24	पीडियाट्रिक्स	-	-	01	01	-	01	01	01	-	-	-	-
25	पीडियाट्रिक्स सर्जरी	01	-	-	-	01	-	-	-	-	01	-	-
26	पैथोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	फार्माकोलॉजी	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	01	01
29	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-
30	फोरेन्सिक मेडिसिन	-	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
31	बायोकेमिस्ट्री	01	-	-	-	-	-	01	-	-	-	01st	-
32	माइक्रोबायोलॉजी	-	-	-	-	01	01	-	-	-	-	-	-
33	रेडियोडाग्नोसिस	-	01	-	-	01	01	-	-	01	-	01	01
34	रेडियोथेरेपी	-	-	-	-	-	-	-	01	-	01	-	-
35	साइकेट्री	-	-	-	01	-	-	01	-	-	-	-	-
36	ह्यूमन मेटाबॉलिज्म	-	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
	योग	07	08	05	03	08	09	07	03	05	10	09	05

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू होगा।

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं:-

1. शासनादेश संख्या:-119/2018/2842/71-2-2018-33/2018 लखनऊ:दिनांक 20 सितम्बर, 2018 में प्राविधानित सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर आचार्य(कन्सलटेन्ट) के रूप में पुर्ननियोजित को एकमुश्त रू0 2,20,000 का मासिक पारिश्रमिक(Remuneration) प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें उक्त शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 2018 के अनुसार होगी।
2. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रू0 1,35,000/-, सह आचार्य का नियत वेतन रू0 1,20,000/-, सहायक आचार्य का नियत वेतन रू0 90,000/- प्रतिमाह हैं। इस हेतु आवेदक को Medical Council of India, Minimum Qualification for teachers in Medical institutions regulations, 1998, दिनांक 31 अक्टूबर, 2018, दिनांक 07 जून, 2019 एवं 16 अगस्त, 2019 के द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक हैं। डेप्टेस्ट्री की विशिष्टता में भी पी0जी0डिग्री धारक अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकता हैं।
3. संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले चिकित्सा शिक्षकों को पद हेतु निर्गत किए जाने वाले शासनादेश में उल्लिखित एवं निहित शर्तों को पूर्ण करना होगा। संविदा पर सहायक आचार्य पद की नियुक्ति हेतु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी, परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिकतम आयु में नियमानुसार छूट होगी तथा आचार्य एवं सह आचार्य के पद हेतु 70 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी ही अभ्यर्थन कर सकते हैं।
4. चिकित्सा शिक्षक की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित व्यवस्था के अनुसार होगी।
5. ओ0पी0डी0 के दिन प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेगे।
6. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
7. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राईवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
8. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
9. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
10. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवाएँ लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा सन्तोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।
11. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को भेजी जाएगी।
13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होगा।
14. चिकित्सा शिक्षकों शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
15. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती हैं।
16. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाय। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
17. अभ्यर्थी की इस शैक्षिक वर्ष में एम0सी0आई0 के किसी भी निरीक्षण में इस कालेज के अतिरिक्त गणना न की गयी हो।
18. यदि उपरोक्त रिक्त पदों में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले घटित हो, को नियुक्त किया जायेगा।
19. फार्मसी विभाग में नियमावली, 2005 के अनुपालन में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति से पूर्व तीन वर्ष का प्रवक्ता पद का अनुभव आवश्यक है।
20. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती हैं।

प्रधानाचार्य,
ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज,
मेरठ।
तददिनांक

संख्या:-ई0सी0-1/2019/8619

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-1, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड करादेवे।
3. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेजों को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करे।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, मेडिकल कालेज, मेरठ इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त विज्ञप्ति को मेडिकल कालेज, मेरठ की वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करादेवे।
5. सूचना पट।
6. आदेश पुस्तिका।

प्रधानाचार्य,
ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज,
मेरठ।